

स्वच्छ पर्यावरण



स्वस्थ जीवन

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000



प्रासंगिक
नियमावली की विस्तृत
जानकारी के लिए कृपया
QR Code स्कैन करें



कृपया ध्वनि प्रदूषण न करें ।



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सड्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-सदाकत आश्रम, पटना-10

दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई.मेल-bspceb@yahoo-com, वेबसाईट-http://bspceb.bihar.gov.in

ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution)

अप्रिय या अवांछनीय या अनचाही ध्वनि को हम शोर (Noise) के रूप में परिभाषित करते हैं। यह एक वायु प्रदूषक के रूप में मान्य है। सामान्यतया मनुष्य की श्रवण सीमा 20 Hz से 20 KHz वाली आवृत्ति की ध्वनि होती है। ध्वनि स्तर की माप की इकाई 'बेल' का 'दशांश' यानि 'डेसीबेल' (dB) है। आवृत्ति भार (Frequency Weighting) के आधार पर ध्वनि स्तर को तीन प्रकार यथा- 'A', 'C' & 'Z' & weighting में वर्गीकृत किया गया है। मनुष्य का कान ध्वनि आवृत्ति को नन-लिनियर के रूप ग्रहण करती है। कुछ सुर अन्य की तुलना में जल्दी महसूस की जाती है। इसीलिए उपकरणों में फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है, ताकि सामान्य आवृत्ति भार ('A' Frequency Weighting) वाली ध्वनि स्तर श्रवण के अनुकूल बनायी जा सके। ऐसे ध्वनि स्तर की इकाई को dB(A) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य कुप्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक क्रियाकलाप, निर्माण क्रियाकलाप, पटाखे, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, जेनरेटर सेट, लाउडस्पीकर, लोक-सम्बोधन प्रणाली (Public Address System), संगीत प्रणाली (Music system), वाहन में उपयोग की जाने वाली मल्टी-टोन्ड हार्न एवं अन्य यांत्रिक युक्तियाँ (Mechanical devices) आदि हैं।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000

विभिन्न स्रोतों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत “ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000” (यथा संशोधित) अधिसूचित है।

1. इस नियमावली के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए शोर के संदर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित है (अनुसूची में द्रष्टव्य)। उपरोक्त मानक के अनुकूल परिवेशीय वायु की गुणवत्ता बनाये रखने तथा शोर के विभिन्न स्रोतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अधिसूचित “ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000” (यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
2. उक्त नियमावली के नियम-2 (ग) के तहत शोर के संदर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता बनाये रखने हेतु जिला पदाधिकारी, पुलिस आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी है जो पुलिस उप-अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, प्राधिकारी (Authority) घोषित हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-वन पर्या. 05 / 10-151(ई.), दिनांक 11.03.2016 द्वारा सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, सभी सहायक वन संरक्षक, सभी जिला खनन पदाधिकारी, सभी सहायक जिला खनन पदाधिकारी, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद् एवं सभी अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी (S.D.P.O.) नियमावली के नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु प्राधिकारी (Authority) अधिसूचित हैं।
3. ध्वनि के संबंध में अधिसूचित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक के अनुकूल बनाये रखने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था बनायी गयी है:-

- i. लाउडस्पीकर या लोक-सम्बोधन प्रणाली का उपयोग प्राधिकार से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना है।
 - ii. लाउडस्पीकर या लोक-सम्बोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र या वाद्य उपकरण का उपयोग (बंद परिसर यथा ऑडिटोरियम, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हॉल, प्रीति भोज हॉल में संसूचना कार्य के सिवाय) रात्रि में नहीं किया जाना है।
 - iii. सार्वजनिक स्थल, जहां लाउडस्पीकर या लोक-सम्बोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए परिवेशीय ध्वनि स्तर से 10dB (A) ज्यादा या 75 dB (A) जो भी कम हो, सुनिश्चित किया जाना है।
 - iv. किसी निजी स्वामित्व की ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय ध्वनि स्तर, निजी स्थान की चारदीवारा में, उस क्षेत्र जहां यह उपयोग में लाया जा रहा है, के लिए परिवेशीय ध्वनि मानक से 5 dB (A) से अधिक नहीं हो, सुनिश्चित किया जाना है।
 - V. लाउडस्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली, ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र एवं भोपू (हार्न) का उपयोग शांत परिक्षेत्रों या रात्रि समय में आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात के सिवाय नहीं किया जाना है।
 - vi. ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखों शांत क्षेत्र या रात्रि समय में नहीं फोड़ा जाना, सुनिश्चित किया जाना है।
 - vii. रात्रि के दौरान शांत और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि उत्सर्जित करने वाली निर्माण मशीनों का उपयोग/संचालन नहीं करना, सुनिश्चित किया जाना है।
4. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रवृत्त करने का दायित्व:
 - a. अधिसूचित/वर्णित प्राधिकारी (Authority), ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रवर्तन और ध्वनि से संबंधित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी है।
 - b. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद् द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़ें संग्रहित, संकलित और प्रकाशित किया जाना है।
 5. शांत क्षेत्र में किसी उल्लंघन के कारण शास्ति/जुर्माना (Penalty): जब कोई व्यक्ति शांत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी स्थान में निम्नलिखित कोई अपराध करता है तो वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुरूप शास्ति/जुर्माना (Penalty) के लिए उत्तरदायी होगा:-
 - i. किसी प्रकार का संगीत गाता/बजाता है या कोई ध्वनि प्रवर्धक प्रयोग करता है; या ढोल/टॉम-टॉम पीटता है या हार्न बजाता है चाहे वह संगीतमय हो या दबाने वाला या तुरही बजाता है या किसी यंत्र को पीटता है या बजाता है; या
 - iii. भीड़ आकर्षित करने के लिए अनुकरणशील, संगीतमय या अन्य अभिनय प्रदर्शित करता है; या
 - iv. ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखों फोड़ता है; या
 - V. लाउडस्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग करता है।
 6. प्राधिकारी को की जाने वाली शिकायतें:
 - a) कोई व्यक्ति, यदि ध्वनि स्तर परिवेशीय ध्वनि मानक से 10 dB (A) से ज्यादा बढ़ जाने या रात्रि के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों के बारे में इस नियमावली के किसी उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में प्राधिकारी को शिकायत कर सकेगा।

- b) प्राधिकारी, शिकायत के आलोक में कार्यवाई करेगा और उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध इन नियमों और प्रवृत्त किसी अन्य नियमावली के उपबंधों के अनुसार कार्यवाई करेगा।
7. दंडात्मक व्यवस्था:- इन नियमों का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दंडात्मक व्यवस्था को आकृष्ट करेगा जो ऐसे अपराधों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 वर्षों तक का कारावास, जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा तक दंडनीय है।

अनुसूची

[नियम 3 (1) और 4 (1) देखिए]

ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

क्षेत्र का कोड	क्षेत्र/परिक्षेत्र का प्रवर्ग	dB (A) Leq में सीमा'	
		दिन का समय	रात का समय
(क)	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
(ख)	वाणिज्य क्षेत्र	65	55
(ग)	आवासिय क्षेत्र	55	45
(घ)	शांत परिक्षेत्र	50	40

- टिप्पणः
1. दिन के समय से 6.00 बजे पूर्वा. से 10.00 अप. तक अभिप्रेत है।
 2. रात्रि समय से 10 बजे अप. से 6.00 बजे पूर्वा. तक अभिप्रेत है।
 3. शांत परिक्षेत्र वह क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों या ऐसे अन्य क्षेत्र जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है, के आस-पास कम-से-कम 100 मीटर में समाविष्ट है।)
 4. मिश्रित प्रवर्गों के क्षेत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा ऊपर वर्णित चार प्रवर्गों में से एक घोषित किए जा सकते हैं।
*dB (A) Leq द्योतक है मानवीय श्रवण से संबंधित मापक 'ए' पर डेसीबल में ध्वनि का समय भारित औसत स्तर।

भारित औसत स्तर।

'डेसीबल' वह इकाई है जिसमें ध्वनि मापी जाती है।

dB (A) Leq में 'ए' द्योतक है ध्वनि के माप में आवृत्ति भार और मानवीय कान की आवृत्ति उत्तर लक्षणों के समरूप है।

Leq: यह एक विशिष्ट अवधि में शोर स्तर का उर्जा माध्य है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा नवम्बर, 2024 में प्रकाशित एवं
दीक्षा आर्ट एण्ड प्रिन्टस्, पटना, मो. 9431436534 द्वारा 2000 प्रतियाँ मुद्रित